[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 19/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर, 2025

सा.का.नि. ......(अ).- संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, यह समझते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 646(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 9% में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;”;

(ख) अनुसूची III - 20% में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“14.	2106 90 20	पान मसाला;
25.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर];

26.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी;
27.	2403 (2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर);
28.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत;
29.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत।";

(ग) अनुसूची VII - 14% को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/73/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 9/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 646(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।